FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0260 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/11/2024 15:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	420
6	भा दं सं 1860	467
7	भा दं सं 1860	468
8	भा दं सं 1860	471
9	भा दं सं 1860	477-A
10	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/12/2018 **Date To (दिनांक तक):** 30/08/2019

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/11/2024 Time (समय): 12:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 13/11/2024 15:39:20 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 85 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): GRAM PANCHAYAT BORUNDA, PANCHYAT SAMITI PIPAR SAHAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): NEMARAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): MOHANRAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1984 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHAKARO KI DHANI BORUNDA, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHAKARO KI DHANI BORUNDA, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars**
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA DAN		पिता:UMARDAN	1. BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	RAMSINGH MEHRU		पिता:JOGIDAN	1. BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
3	OM PRAKASH JAKHAR		पिता:HANUMAN RAM	1. GARASNI,AASOP,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
4	PRAKESH		पिता:MULTANRAM JI	1. BENIWALO KI DHANI BORUNDA,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
5	BHEEKH SINGH		पिता:KALYAN SINGH	1. BIJALIGHAR KE PASS BORUNDA,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
6	CHANDRAKANWAR		पति:JOGIDAN	1. BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
7	VIRUKNWAR		पति:RAMSINGH	1. CHARANO KA PURAN WAS,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
8	PRVEEN SINGH		पिता:RAMSINGH	1. CHARANO KA PURAN WAS,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
9	KIRAN KUMARI		पत्नी:PRVEEN MEHRU	1. CHARANO KA PURAN WAS,BORUNDA,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
10	VIKRAM MEHRU		पिता:RAMSINGH	1. CHARANO KA PURAN WAS,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
11	ANTIMA		पति:VIKRAM MEHRU	1. CHARANO KA PURAN WAS,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
12	NIVEDITA MEHRU		पत्नी:RAMSINGH MEHRU	1. CHARANO KA PURAN WAS,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
13	JYOTI		अभिभावक:RAMSINGH MEHRU	1. CHARANO KA PURAN WAS,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
14	MAHIPALSINGH MEHRU		पिता:JOGIDAN	1. BORUNDA,PIPAR SAHAR,JODHPUR

				INDIA
15	RAJESH KUMARI		पति:MAHIPAL SINGH MEHRU	1. BORUNDA,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
16	MADHUSUDAN		पिता:MAHIPAL SINGH MEHRU	1. BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
17	DAXA		अभिभावक:MAHIPAL SINGH MEHRU	1. BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
18	AJAYPAL SINGH		पिता:JOGIDAN	1. BORUNDA,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
19	MEENAKASHI		पति:AJAYPAL SINGH	1. BORUNDA,PIPATR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
20	PRAKESHKNWAR		पति:NARENDRA DAN	1. BORUNDA,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
21	MANGI LAL		पिता:RMJIRAM	1. BORUNDA,PIPAR SAHAR,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
22	RAJENDRA KUMAR TAK		पिता:DEVILAL JI TAK	1. JOSHIYO KA MOHALLA,BORUNDA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		68,99,925.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 68,99,925.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, परिवादी श्री नेमाराम पुत्र श्री मोहनराम, उम्र करीब 40 वर्ष, भाखरो की ढाणी, बोरून्दा, जिला जोधपुर ने एक रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय पर इस आशय का प्रेषित किया कि ग्राम पंचायत बोरून्दा के अधीन खसरा संख्या 1151 किस्म गैर मुमकिन आबादी आई हुई है। सरपंच नरेन्द्र दान द्वारा आरोपीगण रामसिंह, ओमप्रकाश जाखड, भुपेन्द्रदान, दिनेशदान, तेजाराम, प्रकाश व भीखसिंह के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर स्वंय को सदोष लाभ व सरकार को सदोष हानि पहुंचाने के लिए धोखाधडी कर कूटरचित मिसल तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर खाली भूखण्ड को पुश्तैनी मकान का 50 साल पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी कर राजकोष को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जिस पर ब्यूरो मुख्यालय पर शिकायत संख्या 2112 दिनांक 25.04.2023 दर्ज की जाकर जांच की गई। शिकायत में दौराने जांच से आरोप प्रमाणित

पाये जाने पर प्राथमिक जांच संख्या 50/2023 दिनांक 25.04.2023 दर्ज की जाकर जांच हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच में अंकित आरोपो पर संबंधित ग्राम पंचायत बोरूंदा, निर्वाचन कार्यालय जोधपुर, पंचायत समिति पीपाड शहर, से रिकाॅर्ड प्राप्त किया जाकर अवलोकन कर संबंधित आरोपीयो के पृथक-पृथक बयान/आरोपीगणो का स्पष्टीकरण लिये जाकर शामिल जांच किये गय जांच से निम्न तथ्य पाये गये- 1- श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा जिला जोधपुर ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत बोरून्दा के अधीन खसरा संख्या 1151 किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि जिसमे से अपने नाम एवं अपने रिश्तेदारो के नाम से भूखण्डो पर पुराना कब्जा बताया जाकर नियम विरूद्व पट्टे जारी किये। श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच बोरून्दा ने अपने स्वयं के नाम से अलग - अलग दो भुखण्डो के पट्टे क्रमशः पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 07 में कुल 2697.50 वर्ग फुट एवं पट्टा बुक संख्या 43 के पट्टा संख्या 01 द्वारा अपने नाम से जारी करवाना पाया गया है। पट्टा बुक संख्या 43 से पट्टा संख्या 01 जारी किया है उक्त पट्टा बुक श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर में एक अन्य वाद की जांच हेतु प्रेषित होना पाया गया है। 2- श्रीमति प्रकाश कंवर पत्नी श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 08 में कुल 2695 वर्ग फुट का जारी करवाना पाया गया। श्रीमति प्रकाश कंवर द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढीयो से पुराना कब्जा बताकर अपने स्वंय के नाम कुल 2695 वर्गफुट का आवासीय पट्टा जारी करवाकर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। 3- श्री रामसिंह पुत्र श्री जोगीदान निवासी बोरूंदा तत्तकालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा ने अपने नाम से दो अलग-अलग पट्टे क्रमशः पट्टा बुक संख्या 32 में पट्टा संख्या 04 में कुल 2706 वर्ग फुट एवं पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 30 में कुल 2500 वर्ग फुट के जारी करवाना पाया गया। श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर दोनो भूखण्डो पर पीढीयो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टे जारी करवाकर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। 4- श्रीमति चंद्र कंवर पत्नी श्री जोगीदान निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 03 में कुल 2500 वर्ग फुट का जारी होना पाया गया। श्रीमति चंद्रकंवर द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर खाली भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर अपने स्वंय के नाम का आवासीय पट्टा जारी करवाकर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। 5- श्रीमति बीरू कंवर पत्नी श्री रामसिंह निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 32 में पट्टा संख्या 05 में कुल 2706 वर्ग फुट का जारी होना पाया गया। श्रीमति बीरू कंवर द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर अपने स्वंय के नाम का आवासीय पट्टा जारी करवाकर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। 6- श्री प्रवीण मेहरू पुत्र श्री रामसिंह निवासी बोरूंदा के नाम से दो अलग-अलग पट्टे क्रमशः पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 04 में कुल 1250 वर्ग फुट एवं पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 34 में कुल 1250 वर्ग फुट के जारी करवाना पाया गया। श्री प्रवीण मेहरू द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर दोनो भूखण्डो पर पीढीयो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टे जारी करवाकर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। 7- श्री विक्रम मेहरू पुत्र श्री रामसिंह निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 15 में कुल 1250 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्री विक्रम मेहरू द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढीयो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। 8- श्रीमति अन्तिमा पत्नी विक्रम मेहरू पुत्र श्री रामसिंह निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 33 में कुल 2500 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्रीमति अन्तिमा पत्नी विक्रम मेहरू द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढीयो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्रीमति अन्तिमा पत्नी श्री विक्रम मेहरू जो श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच की पुत्रवधु है। 9- सुश्री निवेदिता पुत्री श्री रामसिंह मेहरू निवासी बोरूंदा के नाम से अलग-अलग दो पट्टे क्रमशः पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 09 में कुल 1250 वर्ग फुट एवं पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 16 में कुल 1250 वर्ग फुट के पट्टे जारी किये गये। सुश्री निवेदिता पुत्री श्री रामसिंह मेहरू द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर दो अलग-अलग आवासीय पट्टे जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्रीमति निवेदिता जो श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच की पुत्री है। 10- सुश्री ज्योति पुत्री श्री रामसिंह मेहरू निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 14 में कुल 1250 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्रीमति ज्योति पुत्री श्री रामसिंह मेहरू द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। सुश्री ज्योति श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच की पुत्री है। 11- श्रीमति किरण पत्नी श्री प्रवीण मेहरू निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 10 में कुल 1250 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्रीमति किरण पत्नी श्री प्रवीण मेहरू द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्रीमति किरण पत्नी श्री प्रवीण मेहरू जो कि श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच की पुत्रवधु है।

12- श्री महिपालसिह पुत्र श्री जोगीदान निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 26 में कुल 2500 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्री महिपालसिह द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्री महिपालसिंह जो कि श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच का सगा भाई है। 13- श्रीमति राजेश कुमारी पत्नी श्री महिपालसिह निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 29 में कुल 2500 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्रीमति राजेश कुमारी पत्नी श्री महिपालसिह द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्रीमति राजेश कुमारी जो कि श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच के सगे भाई की पत्नी है। 14- श्री मधुसुदन पुत्र श्री महिपालसिंह निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 28 में कुल 2500 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्री मधुसुदन द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्री मधुसुदन जो कि श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच के सगे भाई का लडका है। 15- दक्षा पुत्री श्री महिपालसिंह निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 27 में कुल 2500 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। दक्षा द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। दक्षा जो कि श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच के सगे भाई की लडकी है। 16- श्री अजयपालसिंह पुत्र श्री जोगीदान निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 32 में कुल 2500 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्री अजयपालसिंह द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्री अजयपालसिंह जो कि श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच के सगा भाई हैं। 17- श्रीमति मीनाक्षी पत्नी श्री अजयपालसिंह निवासी बोरूंदा के नाम से पट्टा बुक संख्या 41 में पट्टा संख्या 31 में कुल 2500 वर्ग फुट का पट्टा जारी किया गया। श्रीमति मीनाक्षी द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर झुठा शपथपत्र देकर भूखण्ड पर पीढियो से पुराना कब्जा बताकर आवासीय पट्टा जारी करवाकर राजकोष को सदोष हानि कारित करना प्रमाणित पाया गया है। श्रीमति मीनाक्षी जो कि श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच के सगे भाई की पत्नी है। उपरोक्त आवासीय पट्टो मे से आरोपी श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच बोरून्दा एवं उसकी पत्नी श्रीमति प्रकाश कंवर के नाम से जारी किये गये पट्टे श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच व श्री ओमप्रकाश जाखड तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी बोरूंदा द्वारा एवं शेष पट्टे श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच बोरून्दा व श्री ओमप्रकाश जाखड तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी बोरूंदा द्वारा जारी किये जाना पाया गया। दौराने जांच से पाया गया कि ग्राम पंचायत बोरून्दा द्वारा आवासीय भूखण्डो के पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बोरून्दा की नियमित बैठको में प्रस्ताव प्राप्त होने पर श्री नरेन्द्र दान देथा तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा द्वारा वर्ष 2017 में एक तीन सदस्यीय कमेठी का गठन कर श्री तेजाराम वार्डपंच वार्ड संख्या 12, श्री प्रकाश वार्डपंच वार्ड सं. 01 एवं श्री भीखसिंह वार्डपंच वार्ड सं.17 ग्राम बोरूंदा द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट चाही गयी जिस पर उक्त तीन सदस्य टीम द्वारा ग्राम पंचायत बोरून्दा वर्ष 2017 में जारी किये गये खाली भूखण्डो के जारी किये गये पट्टो के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पट्टावाईज पेश की है जिनमें अनियमितताऐ पाई गई। आरोपी श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच, श्री प्रविण सिंह पुत्र श्री रामसिंह, श्रीमति चन्द्रकंवर पत्नी श्री जोगीदान, रामसिंह मेहरू पुत्र श्री जोगीदान, श्री अजयपालसिंह पुत्र श्री जोगीदान, श्रीमति किरण पत्नी श्री प्रविण मेहरू, ज्योति पुत्री श्री रामसिंह, निवेदिता पुत्री श्री रामसिंह एवं इसी प्रकार श्रीमति अन्तिमा पत्नी श्री विक्रम सिंह मेहरू, श्री महिपालसिंह पुत्र श्री जोगीदान, श्रीमति राजेश कुमारी पत्नी श्री महिपालसिंह, श्री मधुसुदन पुत्र श्री महिपालसिंह, दक्षा पुत्री श्री महिपालसिंह, श्री अजयपालसिंह पुत्र श्री जोगीदान एवं श्रीमति मीनाक्षी पत्नी श्री अजयपालसिंह की मौका रिपोर्टो में कमेटी सदस्य श्री तेजाराम वार्डपंच एवं श्री प्रकाश वार्डपंच के हस्ताक्षर नही है। इसके अलावा श्री मांगीलाल व श्री राजेन्द्र टाक नाम से अलग -अलग हस्ताक्षर होना पाया गया है। दौराने प्राथमिक जांच से पाया गया कि लाभार्थी/आरोपीगणो द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं व अपने रिश्तेदारो क नाम से, कुटरचित मिसले, झुठे शपथपत्र देकर भूखण्डो पर पुश्तैनी, पुराना कब्जा बताकर अपने स्वंय के नाम से आवासीय पट्टे जारी करवाकर राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना पाया गया है। उक्त आवासीय पट्टा श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच व श्री ओमप्रकाश जाखड तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी बोरूंदा एवं श्री नरेन्द्रसिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा द्वारा जारी किया जाना पाया गया। उक्त पट्टे जारी करने की एवज में 320/-रू. की राशि का इन्द्राज श्रीमति किरण कुमार पत्नी श्री प्रविण मेहरू एवं श्री विक्रम मेहरू पुत्र श्री रामसिंह के जारी पट्टो के अलावा अन्य पट्टो पर किया हुआ है। दौरान जांच कार्यालय ग्राम पंचायत बोरूंदा पंचायत समिति पीपाड शहर के पत्रांक 355 दिनांक 17.11.2023 के सलंग्न आरोपी श्री नरेन्द्रदान देथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा को जारी किये गये भुखण्ड के पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रति, पत्रांक 7850 दिनांक 05.12.2023 के सलंग्न विकास अधिकारी पीपाड शहर जिला जोधपुर की कमेटी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट क्रमांक स्पेशल 01 दिनांक 04.03.2020 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त एवं कार्यालय ग्राम पंचायत बोरूंदा के पत्रांक 526 दिनांक

04.04.2024 के सलंग्र आरोपीगणो के जारी पट्टो से सम्बन्धित मिसल एवं पट्टा बुक प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने प्राथमिक जांच कार्यालय पदेन उप पंजियक एवं तहसीलदार पीपाड शहर जिला जोधपुर ग्रामीण के पत्रांक 127 दिनांक 12.04.2024 द्वारा ग्राम पंचायत बोरूंदा जिला जोधपुर में वर्ष 2017-18 में खसरा नं0 1151 गै.मु. आबादी की जमीन की आवासिय दर 150/रूपये प्रति वर्ग फुट दर एवं उक्त खसरा की जमाबन्दी की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दौरान जांच परिवादी श्री नेमाराम गवाह सर्व श्री रामनिवास ग्राम विकास अधिकारी, श्री नरपतसिंह भाटी विकास अधिकारी एवं श्रीमति परमा देवी तत्कालीन उप सरपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा से जांच कर बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। आरोपीगण सर्व श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच, श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच, श्री राजेन्द्रकुमार टांक तत्कालीन वार्डपंच, श्री भीखसिंह तत्कालीन वार्डपंच, श्री प्रकाश तत्कालीन वार्डपंच, श्री भुपेन्द्रदान, श्री गोविन्ददान, श्री ओमप्रकाश जाखड तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बोरूंदा, श्री दिनेशदान से जांच की जाकर बयान स्पष्टीकरण लिये गये तो वस्तुस्थिति निम्नानुसार प्रकट हुई- 1- यह है कि ग्राम पंचायत बोरून्दा के अधीन खसरा संख्या 1151 किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि आई हुई है। सरपंच श्री नरेन्द्र दान, रामसिंह, ओमप्रकाश जाखड, भुपेन्द्रदान, दिनेशदान, तेजाराम, प्रकाश व भीखसिंह ने मिलकर षडयंत्र रचकर स्वंय को सदोष लाभ व राज्य सरकार को सदोष हानि पहुंचाने के लिए बेईमानी से धोखाधडी कर कुटरचित मिसल तैयार कर झुठे शपथपत्र देकर भूखण्डो को पुश्तैनी मकान का 50 साल पुराना कब्जा बताकर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत आवासीय पट्टा जारी कर अपने पद का दुरूपयोग किया। 2- यह है कि सरपंच श्री नरेन्द्रदान देथा तत्कालीन सरपंच एवं उनकी पत्नी श्रीमति प्रकाश कंवर के नाम वार्डपंच श्री रामसिंह के हस्ताक्षरों से पट्टा जारी किया गया जो सरपंच का रिश्तेदार है। पंचायतीराज नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि सरपंच की अनुपस्थिति में पंचायत बैठक की अध्यक्षता उपसरपंच द्वारा की जाती है। इस प्रकार उपसरपंच के अधिकारों का हनन कर वार्डपंच अपने रिश्तेदार तत्कालिन सरपंच श्री नरेन्द्रदान को लाभ पंहुचाने के लिए अपने वार्डपंच पद का दुरूपयोग कर ये पट्टा जारी किया गया है। 3- यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 में प्रावधान है कि अगर प्राईवेट बातचीत द्वारा भूमियों का अन्तरण (पट्टा जारी) किया जाता है तो नियम 156 (2) के अनुसार उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में सुसंचित कीमत से कम किसी भी दर पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। 4- यह है कि पट्टाधारको द्वारा खाली आबादी भूमि पर बिना अपना आवास निर्मित नहीं होने के बावजूद झूठा शपथ पत्र पेश कर तथ्य छुपाते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने निजी लाभ के लिए नियम विरूद्ध पट्टा प्राप्त करना बखुबी दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है। उक्त प्रकरण की जांच श्री नरपतसिंह भाटी तत्कालिन विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड शहर एवं श्री रामनिवास ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बोरून्दा द्वारा दिनांक 04.03.2020 को की गयी है। उक्त रिपोर्ट में विकास अधिकारी द्वारा भी ग्राम पंचायत बोरूंदा द्वारा जारी किये गये उपरोक्त भुखण्डो के पट्टो को नियमानुसार जारी नही होकर अनियमितता मानते हुए उक्त पट्टो को खारिज करने की सिफारिश की गई है। 5- यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी आवासीय भुखण्डो के पट्टे जारी करवाने के लिए प्रस्तुत किये गये 50 रूपये के नानँ ज्यूडीशियल स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर अपना-अपना पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का दावा किया गया है। जिसके गवाह में श्री भुपेन्द्रदान पुत्र बचनदास व भाई दिनेशदान पुत्र उमरदान एवं अन्य ने आपस में मिलझुलकर गवाहान के रूप में हस्ताक्षर किये गये है। 6- यह है कि आरोपीगणो/लाभार्थीगणो द्वारा पुश्तैनी कब्जासुदा मकान का नियम 157 (1) में पट्टा जारी करने हेतु झुठा आवेदन एवं झुठा शपथ पत्र पेश किया। प्रारूप 22 नियम 148 में जारी नोटिस में पत्र जावक क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं है इससे साबित होता है कि यह नोटिस कब जारी किया गया, किस अवधि के लिए जारी किया गया है। मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के लिए नोटिस की एक प्रति बनाकर सम्बधितान की मिसल में डाली गई है। 7- यह है कि आरोपीगणो एवं लाभार्थीगण द्वारा आवासिय भूखण्ड के पट्टे जारी करवाने हेतु पेश किये गये 50 रूपये के नानँ ज्युडिशियल स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर अपना पुश्तैनी मकान का पट्टे बनवाने हेतु आवेदन किये गये है। जबकि कुछ लाभार्थीगण की उम्र ही 50 वर्ष नही होना पाई गई। 8- यह है कि प्राथमिक जांच से पाया गया कि आरोपीगण श्री नरेन्द्रदान देथा तत्कालीन सरपंच, श्री रामसिंह तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा ने षडयंत्र पूर्वक आपसी मिलीभगत कर बेईमानी पूर्वक स्वयं को एवं अपने परिवारजन को अनुचित लाभ पहुचा कर अपने पद का दुरूपयोग कर अपने पुत्रो, पुत्रियो, भाइर्यो, भतीजो, माताजी, स्वयं, भाईयो, भतीजो की पत्नीयो के नाम से आवासिय भुखण्डो के पट्टे जारी कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 15 के बिन्दु (4) में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का चर्चा के अधिन किसी भी मामले में उसका कोई आर्थिक हित हो तो वो अध्यक्षता नही करेगा और न ही भाग लेगा। जबकि श्री नरेन्द्र दान तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने रिश्तेदार श्री रामसिंह वार्डपंच एवं उसके परिवारजनो को 18 आवासीय पट्टे जारी किये गये। इसी प्रकार श्री रामसिंह वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा ने अपनी अध्यक्षता में श्री नरेन्द्र दान तत्कालीन सरपंच एवं उसकी पत्नी श्रीमति प्रकाश कंवर के नाम कुल 03 आवासीय पट्टे जारी किये जाकर स्वयं को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना पाया गया है। 9- यह है कि आरोपीगणो द्वारा आपसी मिलीभगत कर, षडयंत्र रचकर बेईमानी से झूठे दस्तावेजात एवं शपथ पत्र तैयार कर पचायतीराज नियम 148, 157 (1) 156 (2) विरुद्व ग्राम पंचायत बोरूंदा में कुल 45999.50 वर्ग फुट में आवासिय भुखण्ड

के पट्टे जारी कर नियमानुसार वर्ष 2017-18 की डीएलसी दर 150/रू. प्रति वर्ग फुट के हिसाब से कुल 68,99,925 /- रू. का राज्य सरकार को सदोष हानि कारित करना जांच से प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री नरेन्द्रदान तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत बोरून्दा, पंचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर, श्री रामसिंह मेहरू पुत्र श्री जोगीदान निवासी बोरून्दा तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड सिटी जिला जोधपुर, श्री ओमप्रकाश जाखड तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बोरून्दा, पंचायत समिति पीपाड़ शहर हाल पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर, श्री प्रकाश पुत्र श्री मुलतान राम जाट निवासी गांव बोरून्दा तत्कालिन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा जिला जोधपुर ग्रामीण, श्री भीखसिंह पुत्र श्री कल्याणसिह राजपूत निवासी गांव बोरून्दा तत्कालिन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा जिला जोधपुर ग्रामीण, श्रीमति चंदुकंवर पत्नी श्री जोगीदान निवासी गांव बोरून्दा (लाभार्थी), श्रीमति बीरूकंवर पत्नी श्री रामसिंह निवासी चारणो का पुरानावास बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्री प्रवीणसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्रीमति किरण कुमारी पत्नी श्री प्रवीणसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी चारणो का पुरानावास बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्री विक्रम मेहरू पुत्र श्री रामसिंह निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा जिला जोधपुर, (लाभार्थी), श्रीमति अन्तिमा पत्नी श्री विक्रम मेहरू पुत्र श्री रामसिंह निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्रीमति निवेदिता मेहरू पुत्री श्री रामसिंह महरू निवासी चारणो, का पुराना वास बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्रीमति ज्योति पुत्री श्री रामसिंह मेहरू निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्री महीपालसिंह मेहरू पुत्र श्री जोगीदान निवासी गांव बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्रीमति राजेश कुमारी पत्नी श्री महीपालसिंह मेहरू निवासी गांव बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्री मधुसुदन पुत्र श्री महीपालसिंह मेहरू निवासी गांव बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), सुश्री दक्षा पुत्री श्री महीपालसिंह मेहरू निवासी गांव बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्री अजयपालसिंह श्री जोगीदान निवासी गांव बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्रीमति मीनाक्षी पत्नी श्री अजयपालसिंह निवासी गांव बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी), श्रीमति प्रकाश कंवर पत्नी श्री नरेन्द्रदान निवासी गांव बोरून्दा जिला जोधपुर (लाभार्थी) श्री मांगीलाल पुत्र श्री रमजीराम उम्र 65 साल जाति मेगवाल निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर एवं श्री राजेन्द्र टाक पुत्र श्री देवीलाल जी टाक तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरूंदा द्वारा अपराध कारित करना प्रमाणित पाया जाने से धारा 13(1)(सी)(डी) , 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409,420,467,468,471,477ए व 120बी भा.द.स.का घटित होना पाया जाता हैं। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित हैं। (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(सी)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409,420,467,468,471,477ए व 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1- श्री नरेन्द्र दान पुत्र श्री उमरदान जी जाति चारण उम्र 59 साल पैशा खेतीबाड़ी निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा जिला जोधपुर ग्रामीण तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर। 2- श्री रामसिंह मेहरू पुत्र श्री जोगीदान जी जाति चारण उम्र 55 साल पैशा खेतीबाड़ी निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा जिला जोधपुर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड शहर,जिला जोधपुर। 3- श्री ओम प्रकाश जाखड़ पुत्र स्व0 श्री हनुमान राम जी जाति जाट उम्र 50 साल पैशा नौकरी निवासी गांव गारासनी पुलिस थाना आसोप जिला जोधपुर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 4- श्री प्रकाश पुत्र श्री मुलतानराम जी जाति जाट (बेनीवाल) उम्र 55 साल पैशा खेतीबाड़ी निवासी बेनीवालों की ढाणी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा जिला जोधपुर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड शहर,जिला जोधपुर ग्रामीण। 5- श्री भीख सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जी जाति राजपूत उम्र 58 साल पैशा खेती बाड़ी निवासी बिजलीघर के पास, बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा जिला जोधपुर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड शहर,जिला जोधपुर ग्रामीण। 6- श्रीमति चन्द्रकंवर पत्नी श्री जोगीदान उम्र 75 वर्ष जाति चारण निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 7- श्रीमति बीरूकंवर पत्नी श्री रामसिंह उम्र 54 वर्ष जाति चारण निवासी चारणो का पुरानावास बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 8- श्री प्रवीणसिंह पुत्र श्री रामसिंह उम्र 34 वर्ष जाति चारण निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर । (लाभार्थी) 9- श्रीमति किरण कुमारी पत्नी श्री प्रवीण मेहरू उम्र 32 वर्ष जाति चारण निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 10- श्री विक्रम मेहरू पुत्र श्री रामसिंह उम्र 33 वर्ष जाति चारण निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर। (लाभार्थी) 11- श्रीमति अन्तिमा पत्नी श्री विक्रम मेहरू उम्र 30 वर्ष जाति चारण निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला

जोधपुर (लाभार्थी) 12- श्रीमति निवेदिता मेहरू पुत्री श्री रामसिंह मेहरू उम्र 28 वर्ष जाति चारण निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर। (लाभार्थी) 13- श्रीमति ज्योति पुत्री श्री रामसिंह मेहरू उम्र 27 वर्ष जाति चारण निवासी चारणो का पुराना वास बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर। (लाभार्थी) 14- श्री महीपालसिंह मेहरू पुत्र श्री जोगीदान उम्र 49 वर्ष जाति चारण निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 15- श्रीमति राजेश कुमारी पत्नी श्री महीपालसिंह मेहरू उम्र 49 वर्ष जाति चारण निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 16- श्री मधुसुदन पुत्र श्री महीपालसिंह मेहरू उम्र 22 वर्ष जाति चारण निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 17- सुश्री दक्षा पुत्री श्री महीपालसिंह मेहरू उम्र 23 वर्ष जाति चारण निवासी गांव बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 18- श्री अजयपालसिंह श्री जोगीदान उम्र 48 वर्ष जाति चारण निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 19- श्रीमति मीनाक्षी पत्नी श्री अजयपालसिंह उम्र 39 वर्ष जाति चारण निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 20- श्रीमति प्रकाशकंवर पत्नी श्री नरेन्द्रदान उम्र 57 वर्ष जाति चारण निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (लाभार्थी) 21- श्री मांगीलाल पुत्र श्री रमजीराम उम्र 65 साल जाति मेगवाल निवासी बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर 22 -श्री राजेन्द्र कुमार टाक पुत्र श्री देवीलाल जी टाक जाति कलाल उम्र 51 साल पैशा खेती बाड़ी निवासी जोशीयों का मोहल्ला बोरून्दा पुलिस थाना बोरून्दा जिला जोधपुर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड शहर,जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री चक्रवती सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 167 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1428-32 दिनांक 13-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2-शासन सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जोधपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(प्राथमिक जाँच संख्या 50/23) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** chakrvarti singh rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2024 [illegible]

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1965				
2	Male	1969				
3	Male	1974				
4	Male	1969				
5	Male	1966				
6	Female	1949				
7	Female	1970				
8	Male	1990				
9	Female	1992				
10	Male	1991				
11	Male	1994				
12	Male	1996				
13	Female	1997				
14	Male	1975				
15	Female	1975				
16	Male	2002				
17	Female	2001				
18	Male	1976				
19	Female	1985				
20	Female	1967				
21	Male	1959				
22	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)